

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1958 के नियम 138 के अन्तर्गत)

प्राचीन समस्या समाधान विधि-2025

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम <u>आतादेवी</u> पंचम <u>खडान</u> मू०अ०नि०वृत्त <u>आबूरोड</u> तहसील- <u>आबूरोड</u>						
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	27	222		1. अर्जुन पुत्र पोंगता हि. 1/3 जानि-गरासिया सा. देह खातेदार राधिन हि. 1/3 (पूर्ण खाता) राजस्थान मखदारा ग्रामीण बैंड शाखा किवरली शेष खाता बडल्टर जमाबंदी	1. अर्जुन पुत्र पोंगता हि. 1/3 जानि गरासिया सा. देह खातेदार राधिन हि. 1/3 (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंड शाखा किवरली	

मुताबिक मितल/जमाबंदी संवत् 2076  
-2078 (2019) से स्यामी के  
उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना  
प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138  
राज० मू० राजस्व अधिनियम 1958 के  
तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
आबूरोड के सम्मन श्रवण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया  
गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः  
उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना  
उचित है।

प०हल्का खडान  
मू०अ०नि० आबूरोड  
की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के  
मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार  
शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण  
बन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व  
का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी  
महोदय आबूरोड को सादर प्रेषित है।

प०हल्का खडान  
मू०अ०नि० आबूरोड  
राजस्व अधिकारी आबूरोड की  
रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के  
आधार पर उपरोक्तानुसार  
शुद्धीकरण किये जाने के  
आदेश प्रदान किये जाते हैं।  
हाल जमाबंदी में अमल  
किया जावे।

*Bhramh*  
24/12/25  
पटवारी (सु.सं.)

*[Signature]*  
ह० मू०अ०नि०  
आबूरोड

*[Signature]*  
24/12/25  
ह० राजस्व अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड कार्यालय आबूरोड  
ह० उपखण्ड अधिकारी

दिनांक \_\_\_\_\_ पटवारी खडान तहसील-आबूरोड (सिराही) दिनांक 24/12/25